

डाक गति द्वारा

No.14039/21/2014 - यू. टी. एस-II

गृह मंत्रालय, भारत सरकार

\*\*\*\*\*

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110 001.

दिनांक 19 फरवरी 2014.

ज्ञापन

विषय : श्री आर. पी. दलित द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के अंतर्गत मांगी गई सूचना।

उक्त विषय पर श्री आर. पी. दलित, 3/216, दक्षिण पुरी, नई दिल्ली द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 21.11.2013 भारत सरकार के गृह मंत्रालय की आर. टी. आई. शाखा ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत यू. टी. एस-II अनुभाग को भेजा है तथा यह पत्र यू. टी. एस-II विभाग में 14.02.2014 को प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में, प्रेषक को सूचित किया जाता है कि जो शिक्षायती पत्र दिनांक 22.03.2013 को उसने माननीय गृह सचिव को भेजा था वह पत्र यू. टी. एस-II अनुभाग में दिनांक 17.05.2013 को प्राप्त हुआ था तथा इस संदर्भ में यू. टी. एस-II अनुभाग ने मुख्य सचिव, नई दिल्ली एवं आयुक्त, दिल्ली पुलिस को दिनांक 22.05.2013 को उनके प्रतिवेदन/टिप्पणी के लिए पत्र लिखा था। यू. टी. एस-II अनुभाग, गृह मंत्रालय द्वारा लिखे गए पत्र के संदर्भ में अतिरिक्त आयुक्त कार्यालय से पत्र स. 9182-84/एचएसी/सी एवं आर दिनांक 06.09.2013 के माध्यम से प्रतिवेदन/टिप्पणी भेजी गयी जो कि दिनांक 13.09.2013 को इस अनुभाग को प्राप्त हुई। प्राप्त प्रतिवेदन/टिप्पणी के अध्ययन के उपरांत यह जात हुआ कि यह मामला भारत सरकार के गृह मंत्रालय के यू. टी. पी. अनुभाग से संबन्धित है। अतः उचित कार्यवाही हेतु आपका अधिवेदन पत्र संलग्न दस्तावेजों के साथ गृह मंत्रालय के आवर सचिव (डी. पी. - II) को दिनांक 23.09.2013 को भेज दिया था। अतः प्रेषक की उक्त आर. टी. आई. पात्रती सी. पी. आई. ओ., डी. पी. - II, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली से संबन्धित है। अतः पात्रती की एक ऊयाप्रति सी. पी. आई. ओ., डी. पी. - II, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत प्रेषित की जा रही है।

अनुज शर्मा

(अनुज शर्मा)

निदेशक एवं लोक प्राधिकारी

दू. स. 2309 2436

2. प्रथम आपीलीय प्राधिकारी का नाम एवं पता निम्नलिखित है:

श्री आई. एस. चहल,  
संयुक्त सचिव (यू.टी.),  
गृह मंत्रालय, भारत सरकार  
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110 001.

श्री आर. पी. दलित,  
3/216, दक्षिण पुरी,  
नई दिल्ली - 110 062.

प्रतिलिपि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत:

सी. पी. आई. ओ. / अवर सचिव (डी. पी. - II), यू.टी. पी. शाखा, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली। आर.टी.आई. पावती दिनांक 21.11.2013 संलग्न है। क्राप्या आवेदक को आवश्यक जानकारी देवें है।

अनुज शर्मा

(अनुज शर्मा)  
निदेशक एवं लोक प्राधिकारी  
दू. स. 2309 2436

Issued with Enclosure
Date.....
Sign.....
.....

*61*  
20.2.14

७

## सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रथगा पत्र

सेवा में:

जन सूचना अधिकारी

गृह मंत्रालय  
भारत सरकार नवी दिल्ली

प्राप्तोदय,



दिनांक 11/11/13 को मा० शृङ गंत्री, भारत का० भानगौय सांसद और कमलश यासवान ने भानगौय शृङ गंत्री को पत्र लेखकर १० डी० शौ० पी० रवि शक्तर, दीक्षिण पश्चिम जिला दिल्ली को गैर कानूनी जीत विद्युत तथा इस अन्य मामलों ने भी हृती० शौ० पी० रवि शक्तर के रिप्लाय भानगौय शृङ सचिव भारत सरकार का प्रधान पत्र दिया था। इस के अलावा हृ० शौ० पी० रवि शक्तर के रिप्लाय दिल्ली को तीस छारी कोट ने आराधिक मामला वर्ज जाने का निर्देश दिया है।

इसे जाना जाए कि अप्याचार, पद के हुरौपायोग में लैप्टप १० डी० शौ० पी० रवि शक्तर के रिप्लाय क्या कायेवाई है इस के अलावा शृङ गंत्री के हृ० शौ० पी० रवि शक्तर को इन विवाह के बाद लरवकी ही जा रही है शृङ मंत्रालय द्वारा। क्योंकि सर्वज्ञ है।

सूचना डाक द्वारा चाहिए

क्या आपने प्रथगा पत्र की फीस जमा करा दी है १३८४८८१२१२

प्रार्थी

आर० पी० दीलत  
आर० पी० दीलत

3/216 दीलत उरी  
नवी दिल्ली - ११००६२

स्थान दिल्ली

दिनांक २१/११/०३